

9CMS-2024/207

कद अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू

मुकेश बनाम दोला वगै0

मुकदमा नम्बर :- 28/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	11.09.2024	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 23.09.2024 को पेश हो।</p>	
		<p>23/9/24 वकील प्रार्थी उपा. अप्रार्थी सं. 2 की खौर से न्यायालय यादव वकील ने पावर पेश किया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 का उपा. अनुपस्थित है अतः उनके खौर एक पक्ष में न्यायालय में जारी जारी है मूल काद में प्रा.पत्र 022R4 व 01R10 उपरि धारा 17CPR स्वीकार किया जा चुका है अतः इस पत्रावली के न स्वीकार किया जाता है पत्रावली शेष के तलबी व संशोधित शिर्षक/मा.पत्र हेतु दिनांक 26/9/24 को पेश है।</p>	
		<p>26/9/24 व. प्रार्थी उपा. संशोधित शिर्षक पेश हुआ। जे. को. फि. के न. कु. फि. तलबी हेतु समन तलबाम पेश हुआ। नोटीस जारी है। पत्रावली का तलबी वास्तु प्रवाव हेतु दिनांक 30/9/24 को पेश है।</p>	

30/9/14
U.T. form
Demand
No 3/1 to
3/6
Sawney

व.फ.उप.। अप्रार्थि सं. 3/रा 3/6 के अंतर्गत
से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर
जारी करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता
सं. 2 वाड तालिका अनुसूचित है। अतः इनके
विकसित कार्यक्रम कार्यक्रम के साथ-साथ
उपेक्षाएँ शेष तलकी वास्तु जवाब हेतु
दिनांक 07/10/14 को पेश की गई।

मुकद
कम
संख्या

प्रकरण के 07/10/14
निरस्ताना आधार
पारितोषिक
जाना नहीं है
प्रारंभिक प्रतीति
Sawney

व.फ.उप.। शेष अप्रार्थि सं. 3/रा 3/6 के
अंतर्गत तलकी पेश हुआ। अधिवक्ता
अप्रार्थि सं. 3/रा 3/6 के अधिवक्ता के अंतर्गत
जारी करने पर मुझे मिली प्रमाण के आधार
नहीं होने के कारण प्रमाण पत्र तलकी
वास्तु जवाब हेतु दिनांक 16/10/14 को पेश की गई।

16/10/14

व.फ.उप.। अप्रार्थि सं. 4 के अंतर्गत
कम Tracking Report के साथ पेश की।
पत्रपत्नी वाड तलकी वास्तु जवाब हेतु दिनांक
24/10/14 को पेश की गई।

24/10/14

व.फ.उप.। अप्रार्थि सं. 2 के अंतर्गत जवाब
प्राप्त (T.I) पेश हुआ। शेष के जवाब व
के अंतर्गत तलकी प्रारंभिक दिनांक 28/10/14 को
पेश की गई।

28/10/14

व.फ.उप.। अप्रार्थि सं. 2 के अंतर्गत जवाब
प्राप्त (T.I) पेश हुआ। शेष के जवाब व
के अंतर्गत तलकी प्रारंभिक दिनांक 28/10/14 को
पेश की गई।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

मुद्दा बनाम दौला कर्ण
T.I.

मुकदमा नम्बर :- 78/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>क्रिया गमा। सा.पम व पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के लक्ष्य के आधार पर सा.पम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाते-आशुपित प्रतिक्रिया है। अतः सा.पम अस्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत क्रिया जाकर उक्तपक्षकारण के विवादित आ.के.ने 74/3, 730, 730/1123, 738, 740ता 744, 747/3 कुल क्रिया 10 न-अ-रक्षा 2.11.20 मुक्ति पक्षे अतः अलेखक तदु-मौद्र जिला-जयपुर के मौद्र व सीमाई के अकारि-मौद्र स्वयंके बावत ता फलला मूल वाड स्वामी क्रिया जाकर पावड क्रिया जाता है। उक्त आदेश पीछाना/पत्थरगंधी के विधित आदेश के पालन में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता आले सम्बन्धी विधित प्रक्रिया के पालन में लागू नहीं होगा। पत्रावली-कमल अमर बेकर उक्त नाथर करत व तथा मूल वाड के संलग्न है।</p>	

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)